रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004 / 2003 REGISTERED NO. DL-33004/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2003 / पौष 18, 1924
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2003/PAUSA 18, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 8th January, 2003/Pausa 8, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 7th January, 2003 and is hereby published for general information:—

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 10 of 2003

[*7th January*, 2003]

An Act to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries; imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal:

Be it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. Short title.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under article 341 of the Constitution;

(*b*) "Scheduled Tribes Orders" means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, made by the President under article 342 of the Constitution.

Amendment of Scheduled Castes Order.

3. The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

Amendment of Scheduled Tribes Orders.

4. The Scheduled Tribes Orders are hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 3)

In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,—

(*a*) in PART VIII.—*Kerala*, omit entries 29 and 38;

(*b*) in PART XVIII.—*Uttar Pradesh*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*ii*) in entry 5, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*iii*) in entry 21, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*iv*) in entry 25, at the end, insert "(excluding Sonbhadra and Varanasi districts)";

(*v*) in entry 36, at the end, insert "(excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts)";

(*vi*) for entry 46, substitute "46. Kharwar [(excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia, Gazipur, Varanasi and Sonbhadra districts)]";

(*vii*) in entry 57, at the end, insert "(excluding Sonbhadra and Mirzapur districts)";

(*viii*) in entry 58, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*ix*) in entry 60, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*x*) in entry 62, at the end, insert "(excluding Lalitpur district)".

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 4)

(*1*) In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(*a*) in PART I.—*Andhra Pradesh*,—

(*i*) in entry 1, after "Andh", insert ", Sadhu Andh";

(*ii*) in entry 4, omit "Chenchwar";

(*iii*) in entry 5, at the end, insert ", Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba";

(*iv*) in entry 6, at the end, insert ", Koitur";

(*v*) in entry 12, for "Mannervarlu", substitute "Kolawar";

(*vi*) in entry 13, at the end, insert "Kubi";

(*vii*) in entry 16, at the end, insert ", Kuvinga";

(*viii*) in entry 17, omit "Dhulia, Paiko, Putiya";

(*ix*) in entry 18, for "Goud", substitute "Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya";

(*x*) in entry 29, at the end, insert ", Banjara";

(*xi*) in entry 31, for "Agency tracts", substitute "Scheduled Areas of Vishakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram, East Godavari and West Godavari districts";

(*xii*) in entry 32, at the end, insert ", Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi";

(*xiii*) in entry 33, at the end, insert ", Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula";

(*xiv*) after entry 33, insert—

"34. Nakkala, Kurvikaran

35. Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram).";

(*b*) in PART II.—*Assam*,—

(*i*) under the item "In the autonomous districts:—", for entry 11, substitute "11. Karbi", and after entry 14, insert "15. Lalung";

(*ii*) under the item "In the State of Assam excluding the autonomous districts:—", after entry 9, insert—

"10. Dimasa

11. Hajong

12. Singhpho

13. Khampti

14. Garo.";

(*c*) in PART III.—*Bihar*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Agaria";

(*ii*) in entry 16, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia";

(*iii*) in entry 19, at the end, insert ", Nagesia";

(*iv*) in entry 20, at the end, insert ", Mudi-kora";

(*v*) in entry 24, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia";

(*vi*) in entry 25, at the end, insert ", Patar";

(*vii*) in entry 26, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)";

(*viii*) after entry 30, insert—

"31. Kawar

32. Kol

33. Tharu.";

(*d*) in PART IV.—*Gujarat,*—

(*i*) in entry 9, at the end, insert ", Dhodi";

(*ii*) omit entries 15 and 20 ;

(*iii*) in entry 26, after "Siddi" and before the brackets, insert ", Siddi-Badshan";

(*iv*) omit entry 27;

(*e*) in PART V.—*Himachal Pradesh,*—

(*i*) in entry 2, omit "[excluding the territories specified in sub-section (*1*) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), other than the Lahul and Spiti district]";

(*ii*) in entry 3, omit "[excluding the territories specified in sub-section (*1*) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966)]";

(*iii*) after entry 8, insert—

"9. Beta, Beda

10. Domba, Gara, Zoba.";

(*f*) in PART VI.—*Karnataka,*—

(*i*) in entry 37, at the end, insert " Medari, Gauriga, Burud";

(*ii*) in entry 41, at the end, insert ", Haranshikari";

(*iii*) after entry 49, insert "50. Siddi (in Uttar Kannada district)";

(*g*) in PART VII.—*Kerala,*—

(*i*) in entry 2, at the end, insert ", Aranadan";

(*ii*) in entry 4, at the end, insert ", Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan";

(*iii*) in entry 6, at the end, insert ", Wayanad Kadar";

(*iv*) omit entry 7;

(*v*) for entry 10, substitute "10. Kochuvelan";

(*vi*) omit entries 11, 12 and 14 ;

(*vii*) in entry 16, at the end, insert ", Kurichiyan";

(*viii*) in entry 17, at the end, insert ", Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kuruman" ;

(*ix*) in entry 18, at the end, insert ", Kurumbar, Kurumban";

(*x*) in entry 20, at the end, insert ", Mala Arayan";

(*xi*) in entry 22, at the end, insert ", Malavedan";

(*xii*) for entry 25, substitute "25. Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayanad and Kozhikode districts)";

(*xiii*) in entry 27, at the end, insert "(to be spelt in Malayalam script in parenthesis)";

(*xiv*) omit entry 28;

(*xv*) for entries 30, 31 and 32, substitute "30. Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan";

(*xvi*) in entry 34, at the end, insert ", Ullatan";

(*xvii*) after entry 35, insert—

"36. Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)

37. Ten Kurumban, Jenu Kurumban

38. Thachanadan, Thachanadan Moopan

39. Cholanaickan

40. Mavilan

41. Karimpalan

42. Vetta Kuruman

43. Mala Panickar.";

(*h*) in PART VIII.—*Madhya Pradesh*, omit "entries 21, 32 and 39";

(*i*) in PART IX.—*Maharashtra*,—

(*i*) omit entry 12;

(*ii*) in entry 18, for "Gond Rajgond" substitute "Gond, Rajgond";

(*iii*) omit entry 45";

(*j*) in PART X.—*Manipur*,—

(*i*) for entry 28, substitute "28. Vaiphei";

(*ii*) after entry 29, insert—

"30. Poumai Naga

31. Tarao

32. Kharam

33. Any Kuki tribes.";

(*k*) in PART XII.—*Orissa*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Bhakta";

(*ii*) in entry 4, at the end, insert ", Bathuri";

(*iii*) in entry 5, at the end, insert "Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara";

(*iv*) in entry 8, at the end, insert ", Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij";

(*v*) in entry 10, at the end, insert ", Binjhwar";

(*vi*) in entry 13, at the end, insert ", Bonda Paroja, Banda Paroja";

(*vii*) in entry 17, at the end, insert ", Dhuruba, Dhurva";

(*viii*) in entry 18, at the end, insert ", Didai Paroja, Didai";

(*ix*) in entry 19, at the end, insert ", Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba";

(*x*) in entry 22, at the end, insert "Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond";

(*xi*) in entry 28, at the end, insert "Kanwar";

(*xii*) in entry 29, at the end, insert "Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia, Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia";

(*xiii*) in entry 31, at the end, insert "Kondh, Kui, Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond";

(*xiv*) in entry 32, at the end, insert ", Nagesar, Nagesia";

(*xv*) in entry 38, at the end, insert ", Khaira, Khayara";

(*xvi*) in entry 41, at the end, insert ", Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya";

(*xvii*) in entry 43, at the end, insert ", Nodh, Nodha, Lodh";

(*xviii*) in entry 47, at the end, insert ", Mankria, Mankidi";

(*xix*) in entry 48, at the end, insert ", Matia";

(*xx*) in entry 49, at the end, insert ", Kuda, Koda";

(*xxi*) in entry 50, at the end, insert ", Nagabanshi Munda, Oriya Munda";

(*xxii*) in entry 52, at the end, insert ", Omanatyo, Amanatya";

(*xxiii*) in entry 53, at the end, insert ", Dhangar, Uran";

(*xxiv*) in entry 55, at the end, insert ", Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga Paroja, Sodia Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja";

(*xxv*) in entry 59, at the end, insert "Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora";

(*xxvi*) in entry 62, at the end, insert ", Tharua Bindhani";

(*l*) in PART XIV.—*Tamil Nadu*, in entry 7, for "taluk," substitute "and Ambasamudram taluks";

(*m*) in PART XV.—*Tripura*,—

(*i*) in entry 6, at the end, insert ", Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep";

(*ii*) in entry 14, at the end, insert ", Murashing" ;

(*n*) in PART XVI.—*West Bengal*, after entry 38, insert—

"39. Limbu (Subba)

40. Tamang.";

(*o*) in PART XVII.—*Mizoram*, after entry 14, insert "15. Paite";

(*p*) in PART XVIII.—*Arunachal Pradesh*,—

(*i*) in entry 8, at the end, insert " , Idu, Taroan";

(*ii*) after entry 12, insert—

"13. Hrusso

14. Tagin

15. Khamba

16. Adi.";

(*q*) in PART XIX.—*Goa*, after entry 5, insert—

"6. Kunbi

7. Gawda

8. Velip.";

(*r*) in PART XXII.—*Jharkhand*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Agaria";

(*ii*) in entry 15, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia";

(*iii*) in entry 18, at the end, insert ", Nagesia";

(*iv*) in entry 19, at the end, insert ", Mudi-Kora";

(*v*) in entry 23, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia";

(*vi*) in entry 24, at the end, insert ", Patar";

(*vii*) in entry 25, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)";

(*viii*) after entry 30, insert—

"31. Kawar

32. Kol.".

(2) In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, after entry 5, insert—

"6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra)

7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)

8. Saharya (in the district of Lalitpur)

9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)

10. Baiga (in the district of Sonbhadra)

11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)

12. Agariya (in the district of Sonbhadra)

13. Patari (in the district of Sonbhadra)

14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)

15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra).".

(3) In the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, after entry 2, insert—

"3. Limboo

4. Tamang.".

K. N. CHATURVEDI,
Additional Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003.

MGIPMRND—7042GI—08.01.2003.

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2003 का अधिनियम संख्यांक 10)

[7 जनवरी, 2003]

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनके अंतर्गत आने वाले समूहों, ऐसी जनजातियों या उनके समुदायों के समतुल्य नामों या पर्यायों को सम्मिलित करने, क्षेत्र संबंधी निर्बन्धनों को हटाने और उनकी प्रविष्टियों को विभाजित करने या उनको संयोजित करने, अनुसूचित जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों की बाबत क्षेत्र संबंधी निर्बन्धन का अधिरोपण करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से कतिपय जातियों और जनजातियों को हटाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 अभिप्रेत हैं ।

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, इसके द्वारा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेशों का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, इसके द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और सीमा तक संशोधित किए जाते हैं।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,--

(क) भाग 8 -- केरल में प्रविष्टि 29 और प्रविष्टि 38 का लोप करें ;

(ख) भाग 18 -- उत्तर प्रदेश में,--

(i) प्रविष्टि 1 के अंत में, "(सोनभद्र जिले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 5 के अंत में, "(सोनभद्र जिले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 21 के अंत में, "(सोनभद्र जिले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(iv) प्रविष्टि 25 के अंत में, "(सोनभद्र और वाराणसी जिलों को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(v) प्रविष्टि 36 के अंत में, "(महराज गंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)" अन्तःस्थापित करें ;

(vi) प्रविष्टि 46 के स्थान पर "46. खरवार [(बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)]" रखें ;

(vii) प्रविष्टि 57 के अंत में, "(सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 58 के अंत में, "(सोनभद्र ज़िले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(ix) प्रविष्टि 60 के अंत में, "(सोनभद्र जिले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ;

(x) प्रविष्टि 62 के अंत में, "(ललितपुर जिले को छोड़कर)" अंतःस्थापित करें ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,--

(क) भाग 1--आंध्र प्रदेश में,--

(i) प्रविष्टि 1 में, "आन्ध्र" के पश्चात्, ", साधू आन्ध्र" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 4 में, "चेंचवार" का लोप करें ;

(iii) प्रविष्टि 5 के अंत में, "बोडो, गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा" अंतःस्थापित करें ;

(iv) प्रविष्टि 6 के अंत में, "कोइतूर" अंतःस्थापित करें ;

(v) प्रविष्टि 12 में, "मन्नरवर्लू" के स्थान पर, "कोलावार" रखें ;

(vi) प्रविष्टि 13 के अंत में, "कुबी" अंतःस्थापित करें;

(vii) प्रविष्टि 16 के अंत में, "कुविंगा" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 17 में, "धुलिया, पैको, पुटिया" का लोप करें ;

(ix) प्रविष्टि 18 में, "गोड" के स्थान पर, "डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया" रखें ;

(x) प्रविष्टि 29 के अंत में, ", बंजारा" अंतःस्थापित करें ;

(xi) प्रविष्टि 31 में, "अभिकरण भूखंडों में" के स्थान पर "विशाखापट्नम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्र" रखें ;

(xii) प्रविष्टि 32 के अंत में, "चेला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी" अंतःस्थापित करें ;

(xiii) प्रविष्टि 33 के अंत में, "कोरचा, डब्बा येरुकुला, कांचीपुरी येरुकुला, ऊप्पु येरुकुला" अंतःस्थापित करें ;

(xiv) प्रविष्टि 33 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें : --

"34. नकाला, कुरविकरन,

35. धुलिया, पैको, पुटिया (विशाखापट्नम तथा विजयनगरम जिलों में)";

(ख) भाग 2--असम में,--

(i) "स्वशासी जिलों:-" मद में, प्रविष्टि 11 के स्थान पर, "11. करबी" रखें तथा प्रविष्टि 14 के पश्चात्, "15. लालुंग" अंतःस्थापित करें ;

(ii) "स्वशासी जिलों को छोड़कर असम राज्य में:--" मद के नीचे,

प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें--

"10. डीमासा

11. हाजोंग

12. सिंघफों

13. खाम्पति

14. गारो।" ;

(ग) भाग 3--बिहार में,--

(i) प्रविष्टि 1 के अंत में, "अगरिया" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 16 के अंत में, "ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 19 के अंत में, "नागेसिया" अंतःस्थापित करें;

(iv) प्रविष्टि 20 के अंत में, " मुडी-कोरा" अंतःस्थापित करें ;

(v) प्रविष्टि 24 के अंत में, "कुमारभाग पहारिया" अंतःस्थापित करें ;

(vi) प्रविष्टि 25 के अंत में, "पातार" अंतःस्थापित करें ;

(vii) प्रविष्टि 26 के अंत में, "धांगड़ (उरांव)" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 30 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

"31. कवार

32. कोल

33. थारू ।" ;

(घ) भाग 4--गुजरात में,--

(i) प्रविष्टि 9 के अंत में, "ढोडी" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 15 तथा प्रविष्टि 20 का लोप करें ;

(iii) प्रविष्टि 26 में, "सिद्दी" के पश्चात् और कोष्ठक के पहले, ", सिद्दी-बादशान" अंतःस्थापित करें ;

(iv) प्रविष्टि 27 का लोप करें ;

(ङ) भाग 5--हिमाचल प्रदेश में,--

(i) प्रविष्टि 2 में, "[लाहौल और स्पीति को छोड़कर, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]" का लोप करें ;

(ii) प्रविष्टि 3 में, "[पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

"9. बेटा, बेडा

10. डोम्बा, गारा, जोबा ।";

(च) भाग 6--कर्नाटक में--

(i) प्रविष्टि 37 के अंत में, "मेडारी, गौरिगा, बुरुद" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 41 के अंत में "हरनशिकारी" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 49 के पश्चात्, "50. सिद्‌दी (उत्तर कन्नड़ जिले में)" अंतःस्थापित करें ;

(छ) भाग 7--केरल में,--

(i) प्रविष्टि 2 के अंत में, "अरांडन्" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 4 के अंत में, "माला पुलयान, कुरुम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 6 के अंत में, "वयनाद कादर" अंतःस्थापित करें ;

(iv) प्रविष्टि 7 का लोप करें ;

(v) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, "10. कोचुवेलान" रखें ;

(vi) प्रविष्टि 11, प्रविष्टि 12, प्रविष्टि 14 का लोप करें ;

(vii) प्रविष्टि 16 के अंत में, "कुरिचियान" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 17 के अंत में,"मुल्लु कुरुमन, मुल्ला कुरुमन, माला कुरुमन" अंतःस्थापित करें ;

(ix) प्रविष्टि 18 के अंत में, "कुरुम्बर, कुरुम्बन" अंतस्थापित करें ;

(x) प्रविष्टि 20 के अंत में, "माला अरयन" अंतःस्थापित करें ;

(xi) प्रविष्टि 22 के अंत में, "मालावेडन" अंतःस्थापित करें ;

(xii) प्रविष्टि 25 के स्थान पर, "25. मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोजीकोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर)" रखें ;

(xiii) प्रविष्टि 27 के अंत में, "(कोष्ठक में मलयालम लिपि में लिखा जाए)" अंतःस्थापित करें ;

(xiv) प्रविष्टि 28 का लोप करें ;

(xv) प्रविष्टि 30, प्रविष्टि 31 और प्रविष्टि 32 के स्थान पर "30. पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान" रखें;

(xvi) प्रविष्टि 34 के अंत में, "उल्लातान" अंतस्थापित करें ;

(xvii) प्रविष्टि 35 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

464

"36. माला वेट्टुवन (कासरगोडै और कन्नूर जिलों में)

37. तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन

38. थाचानाडन, थाचानाडन मूपन

39. चोलानाइकन

40. माविलन

41. करीमपालन

42. वेट्टा कुरुमन

43. माला पनिकर ।";

(ज) भाग 8--मध्य प्रदेश में, "प्रविष्टि 21, प्रविष्टि 32 और प्रविष्टि 39" का लोप करें ;

(झ) भाग 9--महाराष्ट्र में,--

(i) प्रविष्टि 12 का लोप करें ;

(ii) प्रविष्टि 18 में, "गोंड राजगोड" के स्थान पर "गोंड, राजगोड" रखें ;

(iii) प्रविष्टि 45 का लोप करें ;

(ञ) भाग 10--मणिपुर में,--

(i) प्रविष्टि 28 के स्थान पर, "28. व्हाइफै" रखें;

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें :--

"30. पउमेइ नागा

31. तराओ

32. खरम

33. कोई कुकी जनजाति ।";

(ट) भाग 12--उड़ीसा में,--

(i) प्रविष्टि 1 के अंत में, "भक्त" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 4 के अंत में, "बथूरी" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 5 के अंत में, "भोतरा, भातरा, भट्टारा, भोटोरा भतरा" अंतःस्थापित करें ;

(iv) प्रविष्टि 8 के अंत में "तेली भूमिज, हलादीपोखड़िया भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज" अंतःस्थापित करें ;

(v) प्रविष्टि 10 के अंत में, "बिंझवार" अंतःस्थापित करें ;

(vi) प्रविष्टि 13 के अंत में, "बोंडपरजा, बांडा परजा" अंतःस्थापित करें ;

(vii) प्रविष्टि 17 के अंत में, "धुरुबा, धुर्वा" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 18 के अंत में, "दीदाई परजा, दीदाई" अंतःस्थापित करें ;

(ix) प्रविष्टि 19 के अंत में, "बोदो गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा" अंतःस्थापित करें ;

(x) प्रविष्टि 22 के अंत में, "राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड" अंतःस्थापित करें ;

(xi) प्रविष्टि 28 के अंत में, "कनवार" अंतःस्थापित करें ;

(xii) प्रविष्टि 29 के अंत में, "बेरगा खड़िया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, एरेंगा खड़िया, मुंडा खड़िया, उरांव खड़िया, खडिया, पहाड़ी खड़िया" अंतःस्थापित करें ;

(xiii) प्रविष्टि 31 के अंत में, "कोंध, कुई, बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड" अंतःस्थापित करें ;

(xiv) प्रविष्टि 32 के अंत में, "नागेसर, नागेसिया" अंतःस्थापित करें;

(xv) प्रविष्टि 38 के अंत में, "खेरा, खयारा" अंतःस्थापित करें ;

(xvi) प्रविष्टि 41 के अंत में, "गुंबा कोया, कोयटुर कोया, कमर कोया, मुसारा कोया" अंतःस्थापित करें ;

(xvii) प्रविष्टि 43 के अंत में, "नोध, नोधा, लोध" अंतःस्थापित करें ;

(xviii) प्रविष्टि 47 के अंत में, "मांकरिया, मानकिडी" अंतःस्थापित करें;

(xix) प्रविष्टि 48 के अंत में, "मटिया" अंतःस्थापित करें;

(xx) प्रविष्टि 49 के अंत में, "कुडा, कोडा" अंतःस्थापित करें ;

(xxi) प्रविष्टि 50 के अंत में, "नागबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा" अंतःस्थापित करें;

(xxii) प्रविष्टि 52 के अंत में, "ओमानात्यो, अमानात्या" अंतःस्थापित करें ;

(xxiii) प्रविष्टि 53 के अंत में, "धांगर, उरांव" अंतःस्थापित करें ;

(xxiv) प्रविष्टि 55 के अंत में, "परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा" अंतःस्थापित करें ;

(xxv) प्रविष्टि 59 के अंत में, "आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा"

464

अंतःस्थापित करें ;

(xxvi) प्रविष्टि 62 के अंत में, "थारुआ बिंधानी" अंतःस्थापित करें ;

(ठ) भाग 14--तमिलनाडु, प्रविष्टि 7 में, "तालुक" के स्थान पर "और समुद्र को अम्बासमुद्रम तालुक" रखें;

(ड) भाग 15--त्रिपुरा में,--

(i) प्रविष्टि 6 के अंत में, "बेंगशेल, डुब, केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 14 के अंत में, "मुरासिंग" अंतःस्थापित करें ;

(ढ) भाग 16--पश्चिमी बंगाल में, प्रविष्टि 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें :--

"39. लिम्बु (सुब्बा)

40. तमंग ।";

(ण) भाग 17--मिजोरम में, प्रविष्टि 14 के पश्चात्, "15. पाइते" अंतःस्थापित करें ;

(त) भाग 18--अरुणाचल प्रदेश में,--

(i) प्रविष्टि 8 के अंत में, "इदु, तारोआन" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

"13. हुरुसो

14. टेगिन

15. खाम्बा

16. आदि ।";

(थ) भाग 19--गोआ में, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें ;

"6. कुन्बी

7. गावड़ा कुम्बी

8. वेलिप ।";

(द) भाग 22--झारखंड में,--

(i) प्रविष्टि 1 के अंत में, "अगरिया" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 15 के अंत में, "ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, हिल खड़िया" अंतःस्थापित करें ;

(iii) प्रविष्टि 18 के अंत में, "नागेसिया" अंतःस्थापित करें

(iv) प्रविष्टि 19 के अंत में, "मुडी-कोरा" अंतःस्थापित करें ;

(v) प्रविष्टि 23 के अंत में, "कुमारभाग पहारिया" अंतःस्थापित करें ;

(vi) प्रविष्टि 24 के अंत में, "पतार" अंतःस्थापित करें ;

(vii) प्रविष्टि 25 के अंत में, "ढांगर (उरांव)" अंतःस्थापित करें ;

(viii) प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें--

"31. कवार

32. कोल ।"।

(2) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें :--

"6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बरती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)

7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)

8. सहरया (ललितपुर जिले में)

9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)

10. बैगा (सोनभद्र जिले में)

11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)

12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)

13. पटारी, पथरिया (केवल सोनभद्र जिले में)

14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)

15. भुइया, भुनिया (केवल सोनभद्र जिले में) ।"।

(3) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 में, प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें--

"3. लिम्बू

4. तमंग ।"।